



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492099
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक ३७९८/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2015

रायपुर, दिनांक ९/११/2015


:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 03/10/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 9225 दिनांक 07/10/2015 की सुनवाई आज दिनांक 07/11/2015 को, सुबह 11:00 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी श्री ए.सी.मालू, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, रायपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 27/08/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 31/08/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे दिनांक 29/09/2015 को जानकारी के अवलोकन हेतु शुल्क जमा करने बाबत पत्र लिखा गया। आवेदक द्वारा जानकारी प्राप्त न कर अपने पत्र क्रमांक 02 दिनांक 03/10/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 9225 दिनांक 07/10/2015 के माध्यम से अपील की है।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात् 30 दिन के भीतर यह सूचना उपलब्ध करा दी गई है कि आवेदक चाहे गए दस्तावेजों का अवलोकन कार्यालयीन दिवस व समय में कर सकते हैं। चूंकि सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है, अतः अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।

१८


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव


मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्रमांक 3799/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 9 / 11 / 2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जनसूचना अधिकारी, श्री ए.सी.मालू, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492099
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 3750/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2015


रायपुर, दिनांक 6/11/2015

:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 03/10/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 9221 दिनांक 07/10/2015 की सुनवाई आज दिनांक 05/11/2015 को, सुबह 11:00 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, श्री एस.के.उपाध्याय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, रायपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 27/08/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 31/08/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे दिनांक 09/09/2015 को जानकारी के अवलोकन हेतु शुल्क जमा करने बाबत पत्र लिखा गया। आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 18/09/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 22/09/2015 के माध्यम से तीनों आवेदनो के अवलोकन शुल्क हेतु रु 200/- का पोस्टल आर्डर संलग्न कर अवलोकन की तिथि निर्धारित करने का निवेदन किया गया। उक्त के अनुक्रम में जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05/10/2015 को दस्तावेजो का अवलोकन हेतु आवेदक को सूचित किया गया। जनसूचना अधिकारी ने यह जानकारी भी दी की आवेदक द्वारा आज दिनांक तक सूचना का अवलोकन नहीं किया गया है, इसलिये आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात 30 दिन के भीतर यह सूचना उपलब्ध करा दी गई है कि आवेदक दस्तावेजो का अवलोकन कार्यालयीन दिवस व समय में कर सकते है। चूकि सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है, अतः अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी रायपुर को निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्रमांक /सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक / /2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री एस.के. उपाध्याय, जनसूचना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492099
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 3748/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2015


रायपुर, दिनांक 6/11/2015

:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 03/10/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 9220 दिनांक 07/10/2015 की सुनवाई आज दिनांक 05/11/2015 को, सुबह 11:00 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, श्री एस.के.उपाध्याय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, रायपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 27/08/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 31/08/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे दिनांक 09/09/2015 को जानकारी के अवलोकन हेतु शुल्क जमा करने बाबत पत्र लिखा गया। आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 18/09/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 22/09/2015 के माध्यम से तीनों आवेदनो के अवलोकन शुल्क हेतु रु 200/- का पोस्टल आर्डर संलग्न कर अवलोकन की तिथि निर्धारित करने का निवेदन किया गया। उक्त के अनुक्रम में जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05/10/2015 को दस्तावेजो का अवलोकन हेतु आवेदक को सूचित किया गया। जनसूचना अधिकारी ने यह जानकारी भी दी की आवेदक द्वारा आज दिनांक तक सूचना का अवलोकन नहीं किया गया है, इसलिये आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात 30 दिन के भीतर यह सूचना उपलब्ध करा दी गई है कि आवेदक दस्तावेजो का अवलोकन कार्यालयीन दिवस व समय में कर सकते हैं। चूंकि सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है, अतः अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी रायपुर को निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक /सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक / /2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री एस.के. उपाध्याय, जनसूचना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,

कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492099

Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 3800/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2015

रायपुर, दिनांक 9/11/2015

:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 03/10/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 9222 दिनांक 07/10/2015 की सुनवाई आज दिनांक 07/11/2015 को, सुबह 11:30 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी श्री ए.सी.मालू, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, रायपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 27/08/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 31/08/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हें दिनांक 29/09/2015 को जानकारी के अवलोकन हेतु शुल्क जमा करने बाबत पत्र लिखा गया। आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 12/10/2015 के माध्यम से तीनों आवेदनों के अवलोकन शुल्क हेतु रु 200/- का पोस्टल आर्डर संलग्न कर अवलोकन की तिथि निर्धारित करने का निवेदन किया गया। उक्त के अनुक्रम में जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 12/10/2015 को दस्तावेजों का अवलोकन हेतु आवेदक को सूचित किया गया। जनसूचना अधिकारी ने यह जानकारी भी दी की आवेदक द्वारा आज दिनांक तक सूचना का अवलोकन नहीं किया गया है, इसलिये आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात् 30 दिन के भीतर यह सूचना उपलब्ध करा दी गई है कि आवेदक दस्तावेजों का अवलोकन कार्यालयीन दिवस व समय में कर सकते हैं। चूंकि सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है, अतः अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400


छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

dlc

पृ० क्रमांक 380 / सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 9/11/2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जनसूचना अधिकारी, श्री ए.सी.मालू, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

१८



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492099
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 3802/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2015

रायपुर, दिनांक 9/11/2015

:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 03/10/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 9223 दिनांक 07/10/2015 की सुनवाई आज दिनांक 07/11/2015 को, सुबह 11:00 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी श्री एस.एम. त्रिपाठी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, रायपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 27/08/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 31/08/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे दिनांक 01/10/2015 को जानकारी निरंक प्रेषित की गई। चूंकि सूचना देने में 01 दिन का विलंब हुआ है, इस लिये जनसूचना अधिकारी द्वारा निःशुल्क जानकारी आवेदक को दी गई।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात् 30 दिन के 01 दिन पश्चात यह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है अतः अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400


छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

४९९

पृ० क्रमांक 3803/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 9/11/2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री एस.एम. त्रिपाठी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

१८



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,

कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492099

Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 3752/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2015


रायपुर, दिनांक 6/11/2015

:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 03/10/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 9224 दिनांक 07/10/2015 की सुनवाई आज दिनांक 05/11/2015 को, सुबह 11:00 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, श्री एस.के.उपाध्याय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, रायपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 27/08/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 31/08/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे दिनांक 09/09/2015 को जानकारी के अवलोकन हेतु शुल्क जमा करने बाबत पत्र लिखा गया। आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 18/09/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 22/09/2015 के माध्यम से तीनों आवेदनो के अवलोकन शुल्क हेतु रु 200/- का पोस्टल आर्डर संलग्न कर अवलोकन की तिथि निर्धारित करने का निवेदन किया गया। उक्त के अनुक्रम में जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05/10/2015 को दस्तावेजो का अवलोकन हेतु आवेदक को सूचित किया गया। जनसूचना अधिकारी ने यह जानकारी भी दी की आवेदक द्वारा आज दिनांक तक सूचना का अवलोकन नहीं किया गया है, इसलिये आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात 30 दिन के भीतर यह सूचना उपलब्ध करा दी गई है कि आवेदक दस्तावेजो का अवलोकन कार्यालयीन दिवस व समय में कर सकते है। चूकि सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है, अतः अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी रायपुर को निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्रमांक /सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक / /2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री एस.के. उपाध्याय, जनसूचना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 35/7/स्था./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रति,

रायपुर, दिनांक 28/10/2015

श्री जागेश्वर राजपूत
अध्यक्ष,
जय छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक समिति
सरकारी कुंआ के पास, मौलीपार तेलीबांधा,
रायपुर, (छ.ग.) 492006

Received Rs. 50/- by cash
D.D./Ch. No. 93/07 Dt. 28/10/15
MR. No. 93/07 Dt. 28/10/15

Dealing Clerk Section Officer

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन के संबंध में।
संदर्भ :- आपका पत्र इस कार्यालय में आवक क्रमांक 9692 दिनांक 19/10/2015

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में पदस्थ व कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम व कार्य क्षेत्र/शाखा से संबंधित समस्त अभिलेखों का अवलोकन पश्चात वांछित सत्यापित छांयाप्रति देने हेतु आवेदन किया गया है। तत् संबंध में आप कृपया निर्धारित अवलोकन शुल्क रु 50/- पहले घंटे के लिये तत् पश्चात प्रत्येक 15 मिनट के लिये रु 5/- नियमानुसार जमा कर अभिलेखों का अवलोकन कार्यालयीन दिवस एवं समय पर किया जा सकता है।

50
20
70

जानकारी 10 पैग व्यक्तित्व उपरिचल क्षेत्र
संरक्षण मंडल

Received Rs. 20/- by cash
D.D./Ch. No. 93/07 Dt. 28/10/15
MR. No. 93/07 Dt. 28/10/15

Dealing Clerk Section Officer

(ए.पी. सावंत)

जनसूचना अधिकारी

मोबाईल नंबर 9685095435

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 3644/स्था./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रति,

रायपुर, दिनांक 3/11/2015

श्री जागेश्वर राजपूत
अध्यक्ष,
जय छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक समिति
सरकारी कुंआ के पास, मौलीपार तेलीबांधा,
रायपुर, (छ.ग.) 492006

Received Rs. 3200/-
D.D./Cheque No. 0114
MR. No. 93/16 19/11/15
Dealing Clerk Sr. Accountant

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन के संबंध में।
संदर्भ :- आपका पत्र इस कार्यालय में आवक क्रमांक 9693 दिनांक 19/10/2015

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.) के विभागीय सेटअप व वर्तमान में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम व कार्य क्षेत्र/शाखा से संबंधित समस्त अभिलेखों का जानकारी 16 पेज का है प्रति पेज रु 2/- की दर से कुल रु. 32/- शुल्क नियमानुसार जमा करवाये जिससे आपको जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

जागेश्वर राजपूत
Reipient

(ए.पी. सार्वत)
जनसूचना अधिकारी
मोबाईल नंबर 9685095435
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492099
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक ~~A373~~ /सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2015

रायपुर, दिनांक 10/12/2015

:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 30/10/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 1094 दिनांक 02/11/2015 की सुनवाई दिनांक 07/12/2015 को, सुबह 11:30 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, श्री बी.एस. ठाकुर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, बिलासपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 28/08/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 02/09/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे पत्र क्रमांक 1264 दिनांक 16/09/2015 को कुल 22 पेज की जानकारी रु. 2/- प्रति पेज के मान से रु 44/- जमा कराकर ले जाने बाबत पत्र लिखा गया। आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 30/09/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 30/09/2015 के माध्यम से रु. 44/- जमा कराकर अभिलेख ले जाने का उल्लेख किया गया। आवेदक को पत्र क्रमांक 1354 दिनांक 05/10/2015 के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई है।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात् 30 दिन के भीतर यह सूचना उपलब्ध करा दी गई है अतः अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर को निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्रमांक /सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक / /2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री बी.एस. ठाकुर, जनसूचना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492099
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 4381/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2015


रायपुर, दिनांक 10/12/2015

:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 02/11/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 1122 दिनांक 04/11/2015 की सुनवाई दिनांक 07/12/2015 को, सुबह 11:30 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, श्री बी.एस. ठाकुर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, बिलासपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 01/10/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 05/10/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे पत्र क्रमांक 1464 दिनांक 19/10/2015 को कुल 722 पेज की जानकारी रु. 2/- प्रति पेज के मान से रु. 1444/- जमा कराकर जानकारी प्रदान करने का उल्लेख किया गया।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यद्यपि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन जनसूचना अधिकारी को आवेदक के आवेदन के अनुरूप पहले अभिलेखों का अवलोकन कराना था। जनसूचना अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। जनसूचना अधिकारी को यह निर्देश देते हुए कि भविष्य में वे आवेदन के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करें, अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है। अपीलार्थी यदि चाहें तो इस संबंध में पुनः आवेदन कर दस्तावेजों का अवलोकन कर सकते हैं।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर को यह भी निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव


मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्रमांक 4382 / सू.अधि. / छ.ग.प.सं.मं. / 2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 10/12/2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री बी.एस. ठाकुर, जनसूचना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,

कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492099

Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 4379/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2015


रायपुर, दिनांक 10/12/2015

:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 02/11/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 1123 दिनांक 04/11/2015 की सुनवाई दिनांक 07/12/2015 को, सुबह 11:30 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, श्री बी.एस. ठाकुर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, बिलासपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 01/10/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 05/10/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हें पत्र क्रमांक 1463 दिनांक 19/10/2015 को कुल 06 पेज की जानकारी रु. 2/- प्रति पेज के मान से रु. 12/- जमा कराकर जानकारी प्रदान करने का उल्लेख किया गया।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यद्यपि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात् 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन जनसूचना अधिकारी को आवेदक के आवेदन के अनुरूप पहले अभिलेखों का अवलोकन कराना था। जनसूचना अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। जनसूचना अधिकारी को यह निर्देश देते हुए कि भविष्य में वे आवेदन के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करें, अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है। अपीलार्थी यदि चाहें तो इस संबंध में पुनः आवेदन कर दस्तावेजों का अवलोकन कर सकते हैं।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर को यह भी निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

फ़ोन नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्रमांक 4380 / सू.अधि. / छ.ग.प.सं.मं. / 2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 10/12/2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री बी.एस. ठाकुर, जनसूचना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) – 492099
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 4375/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2015

रायपुर, दिनांक 10/12/2015

:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 30/10/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 1096 दिनांक 02/11/2015 की सुनवाई दिनांक 07/12/2015 को, सुबह 11:30 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, श्री बी.एस. ठाकुर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, बिलासपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 28/08/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 02/09/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे पत्र क्रमांक 1245 दिनांक 16/09/2015 को कुल 09 पेज की जानकारी रू. 2/- प्रति पेज के मान से रू. 18/- जमा कराकर जानकारी ले जाने का उल्लेख किया। आवेदक द्वारा दिनांक 01/10/2015 को शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदक को पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 05/10/2015 के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई है।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात् 30 दिन के भीतर यह सूचना उपलब्ध करा दी गई है अतः अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर को निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव


मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्रमांक 4376 / सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 10/12/2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री बी.एस. ठाकुर, जनसूचना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492099
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 4377 / सू.अधि. / छ.ग.प.सं.मं. / 2015

रायपुर, दिनांक 10/12/2015

:: आदेश ::

आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त अपील दिनांक 30/10/2015 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 1095 दिनांक 02/11/2015 की सुनवाई दिनांक 07/12/2015 को, सुबह 11:30 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक श्री जागेश्वर राजपूत, अनुपस्थित थे, जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, श्री बी.एस. ठाकुर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी, बिलासपुर, ने जानकारी दी कि आवेदक द्वारा दिनांक 28/08/2015 कार्यालय में आवक दिनांक 02/09/2015 को सूचना हेतु आवेदन दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे पत्र क्रमांक 1244 दिनांक 16/09/2015 को कुल 632 पेज की जानकारी रु. 2/- प्रति पेज के मान से रु. 1264/- जमा कराकर अभिलेख ले जाने का उल्लेख किया गया। आवेदक द्वारा दिनांक 01/10/2015 को राशि जमा करा दी गई। जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 1398 दिनांक 09/10/2015 के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई है।

अपीलीय अधिकारी ने दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा अर्थात् 30 दिन के भीतर यह सूचना उपलब्ध करा दी गई है अतः अपीलार्थी की अपील निराकृत की जाती है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर को निर्देश दिये गये कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर की जानकारी का उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें, तथा अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं कार्यालय का दूरभाष क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख किया करें।


(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्रमांक /सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक / /2015

1. श्री जागेश्वर राजपूत, सरकारी कुआं के पास, मौलीपारा, तेलीबांधा रायपुर 492006 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री बी.एस. ठाकुर, जनसूचना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(देवेन्द्र सिंह)

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मो.नं 9425106400

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)